न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 120 / 2023(पुरानी–10 / 2020)
प्रविष्टि दिनांकः– 17.11.2023(पुरानी–02.07.2020)
निर्णय दिनांक :–15.05.2024

::–उनवान–::

1. सजनी देवी पुत्री चतुर्भुज
2. ग्यारसी देवी पुत्री चतुर्भुज
3. मनभर देवी पुत्री चतुर्भुज
   जाति जाट निवासी शुभदण्ड, टोपा, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1. शिवराज पुत्र भूरा
2. सांवराराम पुत्र भूरा
3. न्याली पुत्री भूरा
4. मुकेशी पुत्री भूरा
   जाति जाट निवासी शुभदण्ड, टोपा, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान।

4. तहसीलदार टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 2875, दिनांक 08.06.2015, तहसीलदार टोडारायसिंह एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम

उपस्थित :

1. श्री केसरलाल चौधरी अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री नौरतमल सांखला अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, केकड़ी(राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश धाकड़(आर.ए.एस.)
मु.नं. –120/2023

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 2875, दिनांक 08.06.2015,तहसीलदार टोडारायसिंह मय धारा 5 मियाद अधिनियम
उनवान– सजनी देवी बनाम शिवराज

::–<u>निर्णय</u>–:: दिनांक 15.05.2024

अपीलांट्स की ओर से अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 2875, दिनांक 08.06.2015,तहसीलदार टोडारायसिंह एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि............................

1. यह कि आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.53 है0 किस्म माल–2 वाके ग्राम भांसु, पटवार क्षेत्र भांसु, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी, राजस्थान में स्थित है, जो अपीलांट्स एंव रेस्पोडेण्ट सं०1 ता 4 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं०– नया 533, पुराना 507, जमाबंदी सम्वत 2074–2077 मे दर्ज है। उक्त आराजीयात अपीलांट्स को उनकी माता फूला पत्नि चतुर्भुज से प्राप्त हुई है, जिसमे अपीलांट्स का 3/8 हिस्सा है। उक्त हिस्सा भूमि का नामान्तकरण सं० 2875, दिनांक 08.06.2015 को तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा तरदीक किया गया है, जिसमे सहवन से अपीलांट्स की वल्दीयत पिता के नाम के आगे चतुर्भुज के स्थान पर अपीलांट्स के भाई भूरा के नाम का अंकन किया गया है। उक्त अंकन मे पिता का नाम त्रुटिपूर्ण होने से अपीलांट्स उक्त नामान्तरकरण सं०– 2875, दिनांक 08.06.2015 मे संशोधन हेतु निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर रहे है :–

2. यह कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण आदेश त्रुटिपूर्ण है और दुरुस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अपीलांट्स, स्व० चतुर्भुज की पुत्रियां है, जिनके परिवार का पारिवारिक शजरा निम्न है :–

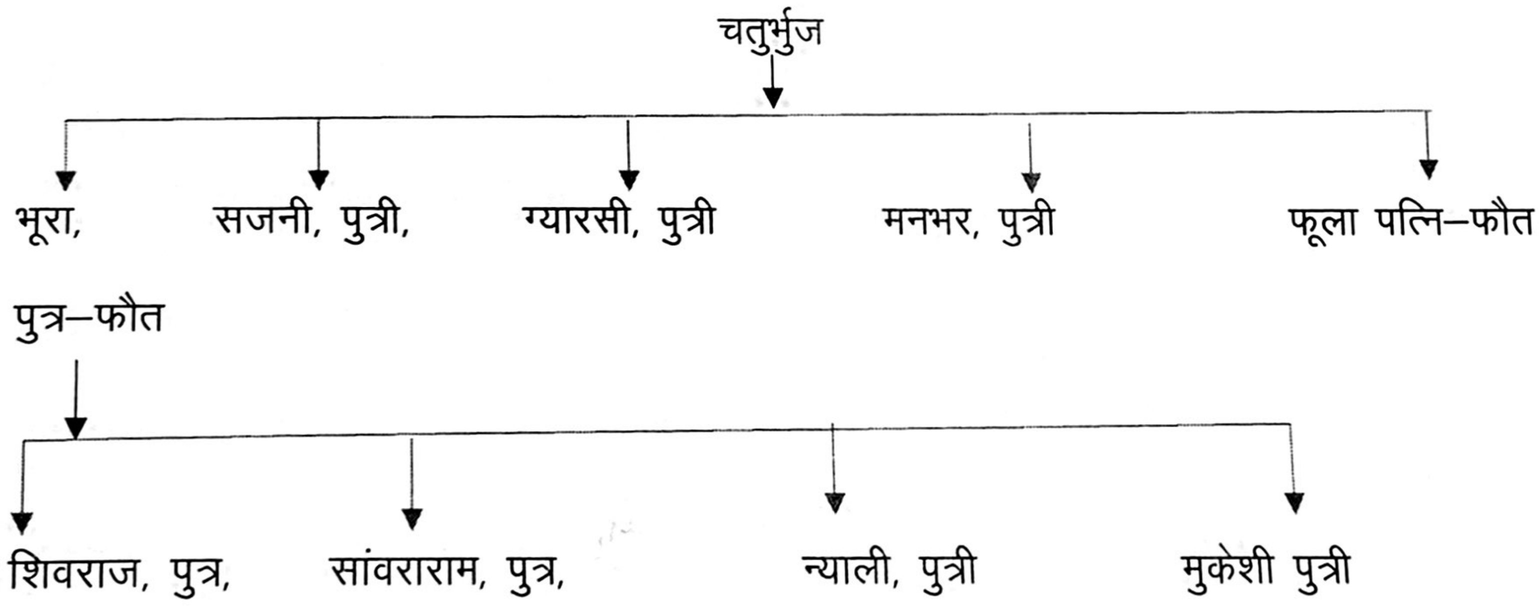

4. यह कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेण्ट सं० 01 ता 04 संयुक्त परिवार के पारिवारिक सदस्य है।रेस्पोडेण्ट सं० 01 ता 04 के पिता भूरा व अपीलाण्टस आपस मे सगे भाई–बहिन है। जिनको उक्त वर्णित आराजीयात खाता सं0–533 मे अंकित आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.53 है0 किस्म माल–2 वाके ग्राम भांसु, पटवार क्षेत्र भांसु, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान पैतृक आराजीयात होने से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। अपीलांट्स का उक्त आराजीयात मे 3/8 हिस्सा है, जो उनको उनकी माता स्व0 फूला पत्नि चतुर्भुज की मृत्यु के बाद जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा शेष 5/8 हिस्से की आराजीयात रेस्पोडेण्ट

सं० 1 ता 4 को उनके पिता भूरा की मृत्यु के साथ जरिये विरासत प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलांट्स व रेस्पोडेण्ट सं०1 ता 4 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज, काश्त चले आ रहे है।

5. यह कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा फूला की मृत्यु के उपरांत अपीलांट्स के नाम उक्त हिस्सा 3/8 का नामान्तकरण तस्दीक करते समय सहवन से अपीलांट्स के पिता चतुर्भुज के स्थान पर अपीलांट्स के भाई भूरा का नाम अंकित कर दिया गया, जो की त्रुटिपूर्ण है। जिससे अपीलांट्स को काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है।

6. यह कि उक्त त्रुटि सद्भाविक त्रुटि है, जो न्यायहित मे दुरुस्त योग्य है। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे नामान्तकरण सं0–2875 मे अपीलांट्स के पिता के त्रुटिपूर्ण नाम भूरा के स्थान पर अपीलांट्स के पिता के सही एंव वास्तविक नाम चतुर्भुज अंकित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

7. यह कि उक्त त्रुटि से रेस्पोडेण्ट्स सं० 1 ता 4 के कोई हक व अधिकार प्रभावित नही होगे। रेस्पोडेण्ट् सं० 1 ता 4 उक्त भूमि मे सहखातेदार है, उक्त दुरुस्ती के बाबत उनकी पूर्ण सहमति है। इस कारण भी उक्त अंकन दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

8. यह कि अपीलांट्स काश्तकार महिला है, जिनको पढना–लिखना नही आता है, इस कारण उक्त नामान्तकरण मे त्रुटिपूर्ण अंकन के सम्बन्ध मे उनको कोई जानकारी पूर्व मे नही हो सकी, सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.06.2020 को अपीलांट्स तहसील कार्यालय मे जाने पर हुई, जिस पर पटवारी द्वारा उनको उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के सम्बन्ध मे अवगत कराया। जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तकरण आदेश की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन उसी दिनांक को पेश कर नामान्तकरण आदेश की नकल दिनांक 22.06.2020 को प्राप्त की और आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के उक्त अपील पेश कर रहे है। अपील पेश करने मे जानबूझकर कोई देरी नहीं की है. जो देरी हुई है, वह न्यायहित मे क्षमा किये जाने योग्य हैं देरी को क्षमा करने हेतु पृथक से अपीलांट्स धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश कर रही है।

9. अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 08.06.2015 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं०– 2875 को संशोधित करते हुए अपीलांट्स के पिता के त्रुटिपूर्ण नाम भुरा के स्थान पर अपीलांट्स के पिता के सही एंव वास्तविक नाम चतुर्भुज अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

10. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अ० धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थीगण–अपीलांट्स काश्तकार महिला है, जिनको पढना– लिखना नहीं आता है, इस कारण उक्त नामान्तकरण मे त्रुटिपूर्ण अंकन के सम्बन्ध मे उनको कोई जानकारी पूर्व मे नही हो सकी, सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.06.2020 को अपीलांट्स तहसील कार्यालय मे जाने पर हुई, जिस पर पटवारी द्वारा उनको उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के सम्बन्ध मे अवगत कराया। जिस पर अपीलांट्स ने उक्त नामान्तकरण आदेश की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन उसी दिनांक को पेश कर नामान्तकरण आदेश की नकल दिनांक 22.06.2020 को प्राप्त की और आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के उक्त अपील पेश कर

रहे है। अपील पेश करने मे जानबूझकर कोई देरी नहीं की है, जो देरी हुई है, वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है।

11. प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने मे हुई देरी को न्यायहित मे कण्डोन किया जाकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश प्रदान करे।

12. रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस प्रस्तुत की। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

13. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.53 है0 किस्म माल–2 वाके ग्राम भांसु, पटवार क्षेत्र भांसु, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी, राजस्थान में स्थित है, जो अपीलांट्स एंव रेस्पोडेण्ट सं०1 ता 4 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं०– नया 533, पुराना 507, जमाबंदी सम्वत 2074–2077 मे दर्ज है। उक्त आराजीयात अपीलांट्स को उनकी माता फूला पत्नि चतुर्भुज से प्राप्त हुई है, जिसमे अपीलांट्स का 3/8 हिस्सा है। उक्त हिस्सा भूमि का नामान्तकरण सं० 2875, दिनांक 08.06.2015 को तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा तरदीक किया गया है, जिसमे सहवन से अपीलांट्स की वल्दीयत पिता के नाम के आगे चतुर्भुज के स्थान पर अपीलांट्स के भाई भूरा के नाम का अंकन किया गया है।

14. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेण्ट सं० 01 ता 04 संयुक्त परिवार के पारिवारिक सदस्य है।रेस्पोडेण्ट सं० 01 ता 04 के पिता भूरा व अपीलाण्टस आपस मे सगे भाई–बहिन है। जिनको उक्त वर्णित आराजीयात खाता सं0–533 मे अंकित आराजी खसरा नम्बर 120 रकबा 0.53 है0 किस्म माल–2 वाके ग्राम भांसु, पटवार क्षेत्र भांसु, तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान पैतृक आराजीयात होने से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। अपीलांट्स का उक्त आराजीयात मे 3/8 हिस्सा है, जो उनको उनकी माता स्व0 फूला पत्नि चतुर्भुज की मृत्यु के बाद जरिये विरासत प्राप्त हुई है तथा शेष 5/8 हिस्से की आराजीयात रेस्पोडेण्ट सं० 1 ता 4 को उनके पिता भूरा की मृत्यु के साथ जरिये विरासत प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलांट्स व रेस्पोडेण्ट सं०1 ता 4 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज, काश्त चले आ रहे है।

15. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त त्रुटि सद्भाविक त्रुटि है, जो न्यायहित मे दुरुस्त योग्य है। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे नामान्तकरण सं0–2875 मे अपीलांट्स के पिता के त्रुटिपूर्ण नाम भूरा के स्थान पर अपीलांट्स के पिता के सही एंव वास्तविक नाम चतुर्भुज अंकित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

16. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 08.06.2015 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं०– 2875 को संशोधित करते हुए अपीलांट्स के पिता के त्रुटिपूर्ण नाम भुरा के स्थान पर अपीलांट्स के पिता के सही एंव वास्तविक नाम चतुर्भुज अंकित कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

17. अधिवक्ता रेस्पो0 के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत पेश तथ्यों से सहमति रखते हुये और न्यायालय मुताबिक साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर जो भी निर्णय पारित करेगा इस हेतु रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

18. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा देरी के कारण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त आधारों पर तथा न्याय हित में मियाद कण्डोन कर प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्रहण की जाता है।

19. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 75 एल0आर0एक्ट में नामान्तकरण सं0 2875 दिनांक 08.06.2015 तहसीलदार टोडारायसिंह के विरूद्ध पेश की है। नामान्तकरण सं0 2875 का अवलोकन किया। ग्राम भासू के खसरा नं0 120 रकबा 0.53 है0 आराजी में भूरा पुत्र चतरभूज व फूला बेवा चतरभूज को नामान्तरण द्वारा भूरा पुत्र चतरभूज हिस्सा 5/8 सजनीदेवी, ग्यारसी देवी, मनभरदेवी हिस्सा 3/8 सा0 शुभदण्ड खातेदार दर्ज किया। यह विरासत का इन्तकाल फूला बेवा चतरभूज के फोत होने के कारण किया गया। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता सं0 नया–533 वर्ष 2019 खसरा सं0 120 रकबा 0.53 है0 में दर्ज रिकॉर्ड अनुसार ग्यारसी पुत्री भूरा, न्याली पुत्री चतरभूज, मुकेशी पुत्री चतरभूज, मनभर देवी पुत्री भूरा, शिवराज पुत्र चतरभूज, सजनी देवी पुत्री भूरा, सांवराराम पुत्र चतरभूज सह खातेदार के रूप में दर्ज है। नामान्तरण के अवलोकन से मृतक फूला के विरासत का नामान्तरण दर्ज करते हुये भूरा पुत्र चतरभूज व सजनीदेवी, ग्यारसी देवी, मनभरदेवी के वल्दियत दर्ज नहीं की गयी जबकि इनके पिता का नाम चतरभूज ही है वर्तमान जमाबन्दी में अपीलाण्ट की वल्दियत चतरभूज के स्थान पर भूरा दर्ज हो गयी है। अतः ग्राम भासू के खसरा नं0 120 रकबा 0.53 है0 आराजी में सजनीदेवी, ग्यारसी देवी, मनभरदेवी पुत्रियां चतरभूज हिस्सा 3/8 शुद्ध किया जाना विधिसम्मत है।

–: आदेश :–

अपीलांट की अपील प्रार्थना पत्र अपील अपीलांट्स की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 विरुद्ध नामान्तरण सं0 2875 दिनांक 08.06.2015, तहसीलदार टोडारायसिंह अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार ग्राम भासू के खसरा नं0 120 रकबा 0.53 है0 आराजी में दर्ज खातेदारों की वल्दियत दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलक्टर,
केकड़ी